श्री सभापति: श्री शनमुगम जी का सुझाव यह है कि पी.एम. किसान योजना के अंतर्गत टेनेन्सी किसान को भी लाना चाहिए।

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

Alleged conspiracy to defame the Film Industry

MR. CHAIRMAN: Shrimati Jaya Bachchan.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh): Thank you, Sir. I want to talk about...

श्री सभापति: आप मास्क लगाइए।

श्रीमती जया बच्चन: सर, आवाज़ क्लियर नहीं आ पाएगी।

SHRI ANAND SHARMA: Sir, the name is not being displayed on the Board.

श्री सभापति: वो नहीं आ पा रहा है। कुछ प्रॉब्लम है।

श्रीमती जया बच्चन: सर, मेरा नाम जया बच्चन है और मैं राज्य सभा से बोल रही हूं।

श्री सभापति: इतनी बढ़िया personality, इतनी सुंदर personality दिख रही है, तो नाम से मतलब नहीं। पूरे देश में फेम है।

श्रीमती जया बच्चन: सर, आपने जो कहा, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सर, यही नाम जिसको आज लोग defame करने में लगे हुए हैं, तो उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहती हूं।

Sir, I want to talk about the entertainment industry in our country which provides direct employment everyday to five lakh people and indirect employment to five million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the Government's non-support.

Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really dissociate with this. I hope the Government tells these people, who have made their earning, name and fame in this industry, to stop using such things.

[श्रीमती जया बच्चन]

There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry but are never kept. I got worked up, I am very emotional, I have too many things to say but you are not giving me enough time and opportunity to speak. I think, the Government must stand by the entertainment industry because the entertainment industry always comes forward to help the Government in whatever good work that the Government takes up, they come and speak for them, they support them. If there is any natural calamity, they come forward, they give money and they give their services. I think, it is very, very important that the Government must support this industry and not kill it.

Just because there are few people, you cannot tarnish the image of the entire industry. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that one of the Members in the Lok Sabha, who is from the industry -- I am not taking the name -- spoke against the film industry. It is a shame. जिस थाली में खाते हैं, उसी में छेद करते हैं। यह गलत बात है। I need protection, the industry needs protection and support of the Government. Thank you.

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री प्रेम चंद गुप्ता (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

† **جناب جاوید علی خان (اتّر پردیش)** : مہودے، میں بھی مانّئے سدسئے کے ذریعے اٹھائے گئے موضوع کو خود سے سمبدّھہ کرتا ہوں۔

श्री मल्लिकार्जुन खरगे (कर्नाटक): महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

SHRI K.K. RAGESH (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MS. ARPITA GHOSH (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI PRASHANTA NANDA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K.C. VENUGOPAL (Rajasthan): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K.T.S. TULSI (Nominated): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI P. BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI RANEE NARAH (Assam): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

†Transliteration in Urdu script.

SHRI VIVEK K. TANKHA (Madhya Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री सैयद नासिर हुसैन (कर्नाटक): महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री नज़ीर अहमद लवाय (जम्मू-कश्मीर): महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

†**جناب نذیر احمد لوائے (جموں – کشمیر)** : مہودے، میں بھی مائنے سدسنے کے ذریعے اٹھائے گئے موضوع کو خود سے سمبدّھ کرتا ہوں۔

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

मीर मोहम्मद फ़ैयाज (जम्मू-कश्मीर): महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

---

†Transliteration in Urdu script.

†**جناب میر محمد فیّاض (جموں – کشمیر)** : مہودے، میں بھی مانّنے سدسنے کے ذریعے اٹھائے گئے موضوع کو خود سے سمبدّھ کرتا ہوں۔

Provision for reservation to Marathas in jobs and admission in educational institutions

श्री सभापति: श्री संभाजी छत्रपती।

SHRI SAMBHAJI CHHATRAPATI (Nominated): Sir, with your consent and permission, I am speaking in Marathi.

† आदरणीय सभापति जी, मैं आज सदन के ध्यान में एक महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूं। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर दायर की हुई याचिका पर निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा समाज के आरक्षण को स्थगित करते हुए यह मामला पाँच जजों की पीठ को हस्तांतरित किया है। इस निर्णय की वजह से मराठा समाज का बहुत नुकसान हुआ है। पिछले साल प्राप्त आरक्षण के आधार पर मराठा समाज के बहुत सारे लोगों को कई जगह नौकरी और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश मिला था। इन सब पर अब सवालिया निशान खड़ा हो गया है और सबका भविष्य अंधेरे में है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हर जाति और धर्म के लोगों को साथ लेकर अन्याय के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। भूमिपुत्रों ने न्याय दिलाने के लिए स्वराज्य की स्थापना की। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज राजश्री शाहू जी महाराज ने अपने राज्य में पिछड़े हुए बहुजन समाज के लिए 50% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। इसमें मराठा समाज का समावेश था। यह बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर छत्रपति शाहू जी महाराज की आरक्षण की संकल्पना संविधान में ले आये। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी मराठा समाज को आरक्षण देने का समर्थन किया था क्योंकि ज्यादातर मराठा समाज सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था। आज भी मराठा समाज की परिस्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। उलटे, आरक्षण के अभाव में परिस्थिति और ज्यादा खराब हुई है ...**(समय की घंटी)**... एक मिनट सर। हमें मराठा समाज का आरक्षण, बहुत बड़े त्याग और संघर्ष के बाद मिला है। इस संबंध में जितनी भी समितियां बनायी गई थीं उन सबने मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए ऐसे विचार व्यक्त किए थे। इसके बावजूद, मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। तमिलनाडु सरकार ने 50% आरक्षण सीमा को पार करके आरक्षण की सीमा 69% की है। पिछले 26 साल से यह कानून वहाँ पर लागू है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी आरक्षण के लिए कानून बना दिया जाए और मराठा समाज के साथ न्याय किया जाए ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री राजीव सातव (महाराष्ट्र): धन्यवाद स्पीकर साहब, पूरे महाराष्ट्र में एक बात पर चर्चा है, जिसमें मराठा समाज को बड़े संघर्ष के बाद आरक्षण मिला था। सर्वोच्च न्यायालय का अभी का

†Transliteration in Urdu script.

†Hindi translation of the original speech delivered in Marathi.